न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/214
मुकदमा नम्बर 54/2025 दर्ज दिनांक– 30.04.2025

1. किशोर कुमार पुत्र कालूराम
2. नारूराम पुत्र कालूराम
3. राजकुमार पुत्र कालूराम
4. श्रवणी पत्नी कालूराम
5. हरलाल पुत्र कालूराम समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम गाडोदियां की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री महेश कुमार वर्मा
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 07.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम गाडोदिया की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी के खसरा नं. 476 रकबा 1.65 है0, खसरा नं. 479 रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.44 है0के राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण के पिता का नाम बालू के स्थान पर कालूराम दर्ज किया जावे। इसी तरह आवेदक सं. 2 नाहर सिंह के स्थान पर नारूराम दर्ज किया जावे। आवेदक सं. 3 राजू के स्थान पर राजकुमार दर्ज किया जावे। आवेदक सं. 4 श्रवणी के पति का नाम बालू के स्थान पर कालूराम दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/8459 दिनांक 17.06.2025 पेश हुई। जिसके अनुसार भी रेकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गाडोदिया की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी के खसरा नं. 476 रकबा 1.65 है0, खसरा नं. 479 रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.44 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण के पिता का नाम बालू के स्थान पर कालूराम दर्ज किया जावे। इसी तरह आवेदक सं. 2 नाहर सिंह के स्थान पर नारूराम दर्ज किया जावे। आवेदक सं. 3 राजू के स्थान पर राजकुमार दर्ज किया जावे। आवेदक सं. 4 श्रवणी के पति का नाम बालू के स्थान पर कालूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8459 दिनांक 17.06.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनूं